नीमराना के घीलोट स्कूल में बर्न मुक्त ग्राम अभियान शुरु

नीमराना। राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय, घीलोट, तहसील नीमराणा के प्रधानाचार्य कालूराम सिरोहिवाल के नेतृत्व में आज विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर आरंभ किए गए 'बर्न मुक्त ग्राम अभियान' के अंतर्गत एक ऐतिहासिक पहल करते हुए आर्य पब्लिक स्कूल घीलोट में जल जाने

■ **आर्य पब्लिक स्कूल घीलोट के करीब 400 विद्यार्थी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए**

पर प्राथमिक उपचार विषय पर स्कूल के बच्चों के लिए जागरुकता अभियान का आयोजन किया गया। आज के इस कार्यक्रम का विशिष्ट पहलू यह है कि एक राजकीय विघालय अपने स्तर पर पहल करते हुए एक महत्त्वपूर्ण विषय पर एक अन्य विद्यालय में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करे। जो कि इस विषय पर देश में पहला नवाचार है। आर्य पब्लिक स्कूल घीलोट के करीब 400 विद्यार्थी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। इस अवसर पर नवल सिंह व्याख्याता, अंजुकुमारी व्याख्याता, जयसिंह दिनेश यादव दीपक कुमार, सत्यवीर सिंह यादव, मुंशीराम, विनोद कुमार कविता यादव, दीपक सोनी, अनंगपाल सिंह, कर्मपाल सिंह चौहान सतपाल चौहान राकेश सिंह चौहान महताब सिंह चौहान सतीश सिंह चौहान जल वीर सिंह यादव रविन्द्र कुमार पंचायत समिति सदस्य आदि मौजूद रहे। इस जागरूकता अभियान का सफल आयोजन डॉ मालती गुप्ता, आचार्य एवं पूर्व विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न्स विभाग, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के निर्देशन में संपन्न किया।

राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय, घीलोट में बर्न मुक्त ग्राम मुक्त अभियान शुरू किया गया।

कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा

टोंक। जिला कांग्रेस कमेटी टोंक जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा।

ज्ञापन में बताया कि 14 हजार करोड़ की स्मार्ट मीटर योजना के तहत राज्य में लगाये जा रहे स्मार्ट मीटर से उत्पन्न हो रही जन समस्यायें आमजन का शोषण जैसा है। जिले के नागरिकों, विशेषकर मध्यम वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर के कारण अत्यधिक बिलिंग, तकनीकी खामियां है तथा स्मार्ट मीटर योजना को भविष्य में प्री-पेड मीटर रिचार्ज सुविधा में बदलने पर गरीब, बीपीएल परिवारों को गंभीर संकट उत्पन्न होगा तथा गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर गंभीर आपत्तियाँ व्यक्त की जा रही है।

इस दौरान जिलाध्यक्ष ने बताया कि विद्युत अधिनियम अनुसार मीटर परिवर्तन हेतु उपभोक्ता की अनुमति, सहमति आवश्यक है, जबकि कंपनी द्वारा बिना किसी सूचना के अवैधानिक तरीके से स्थापित मीटर को मौके पर ही क्षतिग्रस्त कर नया स्मार्ट मीटर लगा दिया जाता है उपभोक्त पुराने मीटर की रीडिंग की जानकारी नहीं दी जाती है।

जिला कलेक्टर ने किया ईसरदा बांध का निरीक्षण : टोंक। बनेठा कस्बे के समीप बनास नदी पर बन रहे निर्माणाधीन ईसरदा बांध का मंगलवार को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना निर्माण कार्य, फिल्टर प्लांट साइट कार्यों के निरीक्षण के दौरान विभागीय अभियंताओं को कार्य प्रगति को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

यूनानी कॉलेज परिसर मे भरा पानी

टोंक। मुख्यालय स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी यूसुफपुरा चराई परिसर में जलभराव के कारण छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, स्कूल के मुख्य रास्ते पर घुटनों तक बारिश का पानी भर हुआ है, जिससे छात्रों को आवागमन में परेशानी हो रही है, नाला नहीं बनने, पास ही में बन रहे मेडिकल कॉलेज की सड़क का लेवल ऊंचा होने और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. मोहम्मद इरशाद खान ने बताया कि कॉलेज तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है, कॉलेज के मुख्य गेट के पास के नाला नहीं बनने के कारण कॉलेज के मेन गेट में बाहर और कॉलेज के अंदर जल भराव हो गया।

चौहान ने हिन्दू परिषद अध्यक्ष से की मुलाकात

टोंक। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने दादू दयाल आश्रम किवाड़ा पर विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से मुलाकात की एवं गौ ऋषि संत प्रकाशदास से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि धर्मांतरण के विरुद्ध कठोरतम कानून को भारतीय संस्कृति, जनजातीय अस्मिता व राष्ट्रीय अखंडता के लिए आवश्यक है, देशभर में धर्मांतरण के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं, लालच, प्रलोभन, झूठे इलाज के वादे और आर्थिक मदद के नाम पर भोले-भाले लोगों को उनके मूल धर्म से भटकाया जा रहा है, इनको रोकना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमाकांत शर्मा, भाजयुमो जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा जयसिंहपुरा, विश्व हिन्दू परिषद जिलामंत्री राहुल जायसवाल, रूपेश यादव, किशोरी लाल मीणा, योगेश शर्मा, शिवजी राम चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण का शुभारंभ

टोंक। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना अन्तर्गत पंचायत विकास सूचकांक पर जिला परिषद सभागार में आयोजित प्रशिक्षण का शुभारंभ सरोज बसंल जिला प्रमुख, जिला परिषद, टोंक द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख द्वारा संभागियों को सतत् विकास के सात लक्ष्य पर जानकारी देते हुए सभी अधिकारियों को ग्रामीण विकास में पूर्ण भागीदारी निभाने का आवाहन किया। प्रशिक्षण प्रभारी नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण में 18 लाईन विभाग तथा समस्त पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों सहित 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान नरेश मीना मास्टर ट्रेनर एवं इंटिको प्राईवेट लि0 के मास्टर ट्रेनरो द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम नीलिमा शर्मा से बदलकर नीलिमा भारद्वाज पुत्री श्री त्रिलोकी नाथ भारद्वाज कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें। पता-9-सी, कृष्णा एनक्लेव, सिविल लाईन्स, नयापुरा, कोटा, राजस्थान-324001

मैं सरोज कुमारी पत्नी JC 857272A सुबेदार विनय कुमार तिवारी, निवासी ग्राम बिशुनपुरा, डाकघर बामपाली, तहसील आरा, भोजपुर (बिहार)-802312 घोषित करती हूँ कि मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में मेरी जन्मतिथि 10.02.1980 दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरी सही जन्मतिथि 02.02.1981 जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है। शपथ पत्र संख्या BZ 164090 नोटरी पब्लिक कोटा राजस्थान

मेरे 10वीं की मार्कशीट में मेरा नाम रतनदीप सिंह खालसा पुत्र प्रीतम सिंह खालसा हो रखा है। जो कि गलत है मेरा सही नाम रतनदीप सिंह पुत्र प्रीतम सिंह है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। 77, विष्णु विहार हीरापुरा, जयपुर

मैं मोना पत्नी श्री संतोष मेरे बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेजों में भूलवंश मेरा नाम कविता दर्ज हो गया जो गलत है। आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मोना पत्नी श्री संतोष दर्ज है जो सही है मुझे इसी नाम से जाना जावें।

मुझे वी.के. जैन पुत्र श्री वी.सी. जैन एवं विनय लुहाडिया पुत्र श्री वीरचन्द लुहाडिया निवासी बी-29, लक्ष्मीनारायणपुरी, सूरजपोल गेट, जयपुर दोनों नामो से जाना पहचाना जाता है भविष्य में मुझे विनय लुहाडिया पुत्र श्री वीरचन्द लुहाडिया के नाम से जाना पहचाना जावें। मोबाइल 9829822290, 9829590812

पहले मेरा नाम गिरिश था परन्तु अब सभी दस्तावेजों में मेरा नाम गिरिश पाराशर हो गया है। दोनों व्यक्ति एक ही है, भविष्य में मुझे गिरिश पाराशर के नाम से जाना जाए।

मैं प्रेम लता सहारण पत्नी श्री हरि सिंह सहारण निवासी 158 गांधी पथ, महादेव नगर, वैशाली नगर, जयपुर राज. 302021 मैंने अपना नाम प्रेम सहारण से बदलकर प्रेम लता सहारण कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें।

मैं प्रेम देवी पत्नी स्वर्गीय श्री नवरतन मल उम्र 65 जाति सैनी शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि नवरतन मल एवं नवरतन सैनी दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है जो कि मेरे स्वर्गवासी पति के है। निवासी 70, अर्जुन नगर साउथ, महेश नगर जयपुर

I have changed my name from Sumit Dusad to Sumit Sarraf S/o Deendayal Dusad for all future purpose. Resi.: 1486 Sarraf Mohalla, Bassi, Jaipur (Rar.) 303301

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-5355 दिनांक-08.07.2025

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 261/702 (EWS), (एरिया 48.89 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री हरीनारायण बैरवा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 6038 दिनांक 20.10.2003 को जारी किया गया। श्रीमती जमना देवी की मृत्यु दिनांक 14.04.2025 को हो जाने के कारण इनके पति श्री हरीनारायण बैरवा पुत्र श्री थन्ना लाल द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री हरीनारायण बैरवा पुत्र श्री थन्ना लाल का नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक: 5537 **जाहिर आम सूचना** दिनांक: 14-07-2025

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 52/117 (HIG), (एरिया 163.457 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामधन दास शर्मा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 597 दिनांक 28.04.1992 को जारी किया गया। श्री रमेश चन्द्र शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 16.12.1992 को उप पंजीयक-सांगानेर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 14.12.1992 के द्वारा श्री विनोद जे. कड़ी पुत्र श्री जे. एस. कड़ी को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री विनोद जे. कड़ी के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 782 दिनांक 11.02.2010 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्री विनोद जे. कड़ी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 24.12.2014 के द्वारा श्रीमती अल्का मिश्रा पत्नी श्री राकेश कुमार मिश्रा को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती अल्का मिश्रा पत्नी श्री राकेश कुमार मिश्रा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत् किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती अल्का मिश्रा पत्नी श्री राकेश कुमार मिश्रा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबंधक वृत्त प्रथम, रा. आ. मण्डल, जयपुर

आम सूचना दि. 15.07.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्लिा श्रीमती ज्योती अरोड़ा पत्नी स्वर्गीय श्री राजीव अरोड़ा, जाति पंजाबी, निवासी 466, गली नम्बर 4, डॉल्फीन्स इन्टरनेशनल विद्यालय के सामने, राजापार्क, जयपुर-302004 (राज) स्वयं के पति श्री राजीव अरोड़ा पुत्र श्री सत्यपाल अरोड़ा के स्वामित्व की अचल सम्पति आवासीय प्लाट नं. 17, वृन्दावन गार्डन, खेडा जगननाथपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर (राज.) जिसका कुल क्षेत्रफल 102.26 वर्गमीटर है जो कि खाली भू-खण्ड अवस्था में है तथा जिसे मेरी मुवक्लिा श्रीमती ज्योती अरोड़ा के पति श्री राजीव अरोड़ा पुत्र श्री सत्यपाल अरोड़ा ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) में बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ था जिनके ऋण खाता (1) ऋण खाता संख्या 692799210 (2) ऋण खाता संख्या 693480225 एवं (3) ऋण खाता संख्या 702612461 है, उक्त श्री राजीव अरोड़ा पुत्र श्री सत्यपाल अरोड़ा का स्वर्गवास 23.09.2024 को हो चुका है, श्री राजीव अरोड़ा पुत्र श्री सत्यपाल अरोड़ा के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान में मेरी मुवक्लिा श्रीमती ज्योती अरोड़ा पत्नी स्वर्गीय श्री राजीव अरोड़ा तथा मेरी मुवक्लिा के दो पुत्र जिसमे क्रमशः (1) अंकित अरोड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री राजीव अरोड़ा तथा (2) नाबालिग पुत्र जिसका नाम पुलकित अरोड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री राजीव अरोड़ा तथा मुवक्लिा की सासुजी अर्थात श्री राजीव अरोड़ा की माताजी श्रीमती सुदेश अरोड़ा पत्नी श्री सत्यपाल अरोड़ा है, इनके अलावा श्री राजीव अरोड़ा पुत्र श्री सत्यपाल अरोड़ा का कोई विधिक उत्तराधिकारी अथवा वारिसान नही है, चूंकि मेरी मुवक्लिा के पति श्री राजीव अरोड़ा पुत्र श्री सत्यपाल अरोड़ा के द्वारा लिए गए समस्त ऋण की अदायगी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) को की जा चुकी है इसलिए मेरी मुवक्लिा स्वयं के पति श्री राजीव अरोड़ा पुत्र श्री सत्यपाल अरोड़ा के स्वामित्व की उक्त अचल सम्पति के समस्त मूल दस्तावेज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) सी- 25, भगवान दास रोड़, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर-302001 (राज.) से प्राप्त करना चाहती है, इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, अवधि समाप्ति के पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरी मुवक्लिा के विरुद्ध शून्य व बेअसर मानी जायेगी।

(श्याम सुन्दर वावला) एडवोकेट,
6/48, मालवीय नगर, जयपुर-302017, मो.9829218044

खोया पाया

शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना ग्रीन पार्क-बी, नांगल जैसा बोहरा में स्थित भूखण्ड संख्या 200 का सोसायटी द्वारा जारी साईट प्लान कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें। (श्री पूरण चन्द पारीक 9435035338)

मेरे भूखण्ड संख्या 61, जगदीश विहार, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर का मूल जेडीए अलॉटमेंन्ट लेटर/पट्टा एवं रजिस्ट्री कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। रामेश्वर दयाल शर्मा पुत्र श्री बी.एल. शर्मा मो.नं. 9899935760

मेरे फ्लैट नं. B14/TF/3 के REGENCY BUILDHOME PVT LTD की योजना श्यामपुरा बुहारिया वाटिका रोड सांगानेर जयपुर का जे.डी.ए. पट्टा के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर एवं साईट प्लान और प्रमाण पत्र की मूल प्रति कहीं गुम हो गयी है सूचित करें नकुल शर्मा मो. 9887573828

आम सूचना

मैं, श्रवण कुमार जैमन, पुत्र श्री कृष्ण कुमार जैमन, निवासी सी-515, सिद्धार्थ नगर, जयपुर। यह घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्रवधु श्रीमती साक्षी जैमन, पत्नी श्री तरुण जैमन, का व्यवहार हम बुजुर्ग दंपत्ति के प्रति अत्यंत अपमानजनक, गाली-गलोच, मानसिक तथा शारीरिक प्रताड़ना पूर्ण रहा है। वह मेरे पुत्र तरुण जैमन तथा पौत्री तरुषि जैमन को भी हमसे मिलने से रोकती है। इस कारण मैं अपने पुत्र तथा पुत्रवधु तथा उसके समस्त परिवार को मेरी समस्त चल व अचल संपत्ति से आज दिनांक 14 जुलाई 2025 से पूर्णतः बेदखल करता हूँ

आम सूचना

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि वाके महानगर जयपुर तहसील सांगानेर थाना खो-नागोरी ग्राम खो-नागोरियान में आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3096 रकबा 0.17 हैक्टेयर खसरा नम्बर 3098 रकबा 0.35 हैक्टेयर में से 11 हैक्टेयर खसरा नम्बर 3101 रकबा 0.14 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर का इकरारनामा हमीदुल्ला एवं सुजाउद्दीन उर्फ मुन्ना के मध्य दिनांक 08.12.2004 को निष्पादित हुआ। जिसके सम्बन्ध में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम- 10, जयपुर महानगर सांगानेर के समक्ष वाद उनवानी सुजाउद्दीन बनाम हमीदुल्ला मु.नं.-52/2023 वाद बाबत् अनुबन्ध की विशिष्ट लम्पित है। जिसमे आगामी पेशी 17.7.2025 नियत है। हमीदुल्ला का देहान्त दिनांक 01.06.2024 को हो चुका है। कोई भी व्यक्ति हमीदुल्ला के वारिसान अथवा कायम - मुकाम से उक्त अराजी भूमि या उसका भाग खरीदने का इकरारनामा, रेहननामा ना करे, ना ही विक्रय पत्र तहरीर तकमीलन कराये। अन्यथा स्वयम् जिम्मेदार होगे।

भवदीय (फैजान हुसैन एडवोकेट) मो.नं. 8824515124

श्री विनायक राजीविका महिला सर्वांगिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड
मुख्यालय- साखून, ब्लॉक-दूदू, जिला- जयपुर (राज.)

क्रमांक: RGAVP/DUDU/2025 खूली बोली/निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 10.07.2025

इस कार्यक्रम में संचालित MKSP परियोजना के तहत् समन्वित खेती कलस्टर (IFC) के अन्तर्गत आजीविका सेवा केन्द्र की स्थापना की जानी है जिसमें मशीनों/उपकरणों के क्रय हेतु अधिकृत रजिस्टर्ड फर्मो/अधिकृत विक्रेताओं/अधिकृत वितरकों से निर्धारित प्रपत्र में मुहर बंद खुली बोली/निविदायें निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है ।

क्र.स.	मशीनों/उपकरणों का नाम (Details Attached in Annexue E)	अनुमानित मशीनों की संख्या	अनुमानित लागत	बिड सिक्यूरिटी राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक/समय बिड सिक्यूरिटी राशि	निविदा फार्म खोलने की दिनांक/समय
1	Musterd Seed Cleaning and Grading Processing Unit	1	14.40 lacs	28800/-	500/-	29 जुलाई 2025 को 2:00 P.M तक	29 जुलाई 2025 को 2:15 P.M तक
2	Mustard Oil Processing unit	1					
3	Cattle Feed Unit	1					

1. बिड दस्तावेज htpp:/sppp.raj.nic.in से दिनांक 29 जुलाई, 2025 को दोपहर 4.00 PM बजे तक डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. बिड सिक्योरिटी अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत राशि 28800/- का डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) SHREE VINAYAK RAJVIKA MAHAIL N एवं निविदा फार्म शुल्क राशि 500 /- रुपयें डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) SHREE VINAYAK RAJIVIKA MAHILA N के नाम बनाकर दिनांक 29.07.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक श्री विनायक राजीविका महिला सर्वागिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, मुख्यालय - साखून, ब्लॉक- दूदू, जिला जयपुर (राज.) में जमा करना होगा ।
3. बिड दिनांक 29.07.2025 को दोपहर 2.15 PM बजे श्री विनायक राजीविका महिला सर्वागिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, मुख्यालय -साखून, ब्लॉक- दूदू, जिला जयपुर (राज.) के कार्यालय में खोली जावेगी ।

UBN NO . - RGA2526GLO1300103

अध्यक्ष गोगा — सचिव संतोष — कोषाध्यक्ष पारस कंवर

श्री विनायक राजीविका महिला सर्वांगिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ग्राम- साखून, ब्लॉक दूदू, जिला- जयपुर

प्रतिभा राजीविका महिला सर्वांगिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड
मुख्यालय- चाकसू, ब्लॉक-चाकसू, जिला- जयपुर (राज.)

क्रमांक: 09 खूली बोली/निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 09.07.2025

इस कार्यक्रम में संचालित MKSP परियोजना के तहत् समन्वित खेती कलस्टर (IFC) के अन्तर्गत आजीविका सेवा केन्द्र की स्थापना की जानी है जिसमें मशीनों/उपकरणों के क्रय हेतु अधिकृत रजिस्टर्ड फर्मो/अधिकृत विक्रेताओं/अधिकृत वितरकों से निर्धारित प्रपत्र में मुहर बंद खुली बोली/निविदायें निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है ।

क्र.स.	मशीनों/उपकरणों का नाम (Details Attached in Annexue E)	अनुमानित मशीनों की संख्या	अनुमानित लागत	बिड सिक्यूरिटी राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक/समय बिड सिक्यूरिटी राशि	निविदा फार्म खोलने की दिनांक/समय
1	Musterd Seed Cleaning and Grading Processing Unit	1	14.40 lacs	28800/-	500/-	31 जुलाई 2025 को 2:00 P.M तक	31 जुलाई 2025 को 2:15 P.M तक
2	Mustard Oil Processing unit	1					
3	Cattle Feed Unit	1					

1. बिड दस्तावेज htpp:/sppp.raj.nic.in से दिनांक 31 जुलाई, 2025 को दोपहर 2.00 PM बजे तक डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. बिड सिक्योरिटी अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत राशि 28800/- का डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) PARTIBHA RAJVIKA SARVAGEEN VIKAS SAHAKARI SAMITI LTD एवं निविदा फार्म शुल्क राशि 500/- रुपयें डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) SARVAGEEN VIKAS SAHAKARI SAMITI LTD के नाम बनाकर दिनांक 31.07.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक प्रतिभा राजीविका महिला सर्वागिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, मुख्यालय - चाकसू, ब्लॉक चाकसू, जिला जयपुर (राज.) में जमा करना होगा ।
3. बिड दिनांक 31.07.2025 को दोपहर 2.15 PM बजे प्रतिभा राजीविका महिला सर्वागिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, मुख्यालय -चाकसू ब्लॉक- चाकसू, जिला जयपुर (राज.) के कार्यालय में खोली जावेगी ।

UBN NO . - RGA2526GLO1300102

अध्यक्ष सजना बाई — सचिव भावना सैनी — कोषाध्यक्ष आशा

प्रतिभा राजीविका महिला सर्वांगिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ग्राम- चाकसू ब्लॉक चाकसू, जिला- जयपुर

नवज्योति राजीविका महिला सर्वांगिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड
मुख्यालय- बाड़ा पदमपुरा, ब्लॉक- चाकसू, जिला-जयपुर (राज.)

क्रमांक: 05 खूली बोली/निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 09.07.2025

इस कार्यक्रम में संचालित MKSP परियोजना के तहत् समन्वित खेती कलस्टर (IFC) के अन्तर्गत आजीविका सेवा केन्द्र की स्थापना की जानी है जिसमें मशीनों/उपकरणों के क्रय हेतु अधिकृत रजिस्टर्ड फर्मो/अधिकृत विक्रेताओं/अधिकृत वितरकों से निर्धारित प्रपत्र में मुहर बंद खुली बोली/निविदायें निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है ।

क्र.स.	मशीनों/उपकरणों का नाम (Details Attached in Annexue E)	अनुमानित मशीनों की संख्या	अनुमानित लागत	बिड सिक्यूरिटी राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक/समय बिड सिक्यूरिटी राशि	निविदा फार्म खोलने की दिनांक/समय
1	Musterd Seed Cleaning and Grading Processing Unit	1	14.40 lacs	28800/-	500/-	31 जुलाई 2025 को 4:00 P.M तक	31 जुलाई 2025 को 4:15 P.M तक
2	Mustard Oil Processing unit	1					
3	Cattle Feed Unit	1					

1. बिड दस्तावेज htpp:/sppp.raj.nic.in से दिनांक 31 जुलाई, 2025 को दोपहर 4.00 PM बजे तक डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. बिड सिक्योरिटी अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत राशि 28800/- का डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) NAV JYOTI RAJIVIKA MHALA VIKAS SARVAGINI BADA एवं निविदा फार्म शुल्क राशि 500 /- रुपयें डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) NAV JYOTI RAJIVIKA MAHILA VIKAS SARVAGINI BADA के नाम बनाकर दिनांक 31.07.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक नवज्योति राजीविका महिला सर्वागिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, मुख्यालय - बाडा पदमपुरा, ब्लॉक-चाकसू (राज.) में जमा करना होगा ।
3. बिड दिनांक 24.07.2025 को दोपहर 2.15 PM बजे नवज्योति राजीविका महिला सर्वागिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, मुख्यालय -बाड़ा पदमपुरा, ब्लॉक चाकसू, जिला जयपुर (राज.) के कार्यालय में खोली जावेगी ।

UBN NO . - RGA2526GLO1300101

अध्यक्ष शमशाद — सचिव मंजू मीणा — कोषाध्यक्ष

नवज्योति राजीविका महिला सर्वांगिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ग्राम- बाड़ा पदमपुरा, ब्लॉक चाकसू, जिला- जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 268/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री सगन लाल डोडा पुत्र श्री देवीदत्त राम डोडा निवासी 13, एस.बी.बी.जे. ऑफिसर्स कॉलोनी, मांग्यावास, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत डोडा चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय पता-13, एस.बी.बी.जे. ऑफिसर्स कॉलोनी, मांग्यावास, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 17.09.2025

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 266/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि मेघा संवेडी पुत्री श्री चकरा कीर्ति संवेडी निवासी-5 सीएच-13 जवाहर नगर, जयपुर-302004 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत "बी.बी.एम. एजुकेशन ट्रस्ट" कार्यालय पता-वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 16.09.2025

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7